गेल (इंडिया) लिमिटेड
निगमित कार्यालय - नई दिल्ली
विज्ञापन एजेंसियों का नामिकायन
हित की अभिरूचित - गेल \ सीसी \ सूचीयन\ 2021

1. हित की अभिव्यक्ति (ईओआई) विवरण

क. हित की अभिव्यक्ति संदर्भ संख्या: गेल \ सीसी \ नामिकायन \ 2021

ख. हित की अभिव्यक्ति का नाम : गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा विज्ञापन एजेंसियों का नामिकायन

ग. हित की अभिव्यक्ति यहां से : https://www.gailonline.com/EXPRESSION-OF-INTEREST.html डाउनलोड करें ।

घ. बीइसी दस्तावेज़ : Agencyempanelment@gail.co.in पर ई-मेल करें।

ङ. दस्तावेज़ **केवल ई-प्रारूप (पीडीएफ)** में प्रस्तुत किए जाने हैं। हालांकि गेल (इंडिया) लिमिटेड, सत्यापन / पुष्टि के लिए किसी भी स्तर पर किसी भी मूल दस्तावेज के लिए पूछ सकता है ।

च. अंतिम तिथि और दस्तावेज को प्रस्तुत करना (जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है): दिनांक **28 .01.2021 सायं 5 बजे तक** अर्थात् निविदाकर्ता की ई-मेल पीडीएफ के साथ ईमेल आईडी - agencyempanelment@gail.co.in पर दिनांक 28.01.2021 को 5 बजे तक अनिवार्यत: पहुंच जानी चाहिए ।

छ. पीडीएफ फाइल का आकार अधिकतम 12 एमबी होना चाहिए । केवल 1 संलग्नक हो।

ज. गेल से संपर्क व्यक्ति : ऋचा जोशी, वरिष्ठ प्रबंधक (सीसी)
011-26172580
ई-मेल: Agencyempanelment@gail.co.in

2. परिचय

गेल (इंडिया) लिमिटेड रूटीन, वैधानिक ब्रांडिंग / गैर-ब्रांडेड संचार कार्यों को संभालने के लिए आईएनएएस मान्यता प्राप्त विज्ञापन एजेंसियों को नामिकायन करना चाहता है। नामिकायन गेल निगमित कार्यालय और जोनल कार्यालयों और कार्य केंद्रों अहमदाबाद, भुवनेश्वर , भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, ग्वालियर , हैदराबाद, जयपुर, कोच्चि, कोलकाता, कानपुर, कोच्चि, लखनऊ , मुंबई , पटना, रांची और वाराणसी के लिए होगा ।

3. कार्य का व्यापक क्षेत्र

नामिकागत विज्ञापन एजेंसियां विभिन्न संचार समनुदेशों पर कार्य करेगी । कार्य के व्यापक क्षेत्र के समनुदेशों की सांकेतिक सूची इस प्रकार है:

- निविदा (एनआईटी), वित्तीय विज्ञापन, भर्ती विज्ञापन, निगमित विज्ञापन, उत्पाद विज्ञापन, डिजिटल विज्ञापन और अन्य को आमंत्रित करने वाले नोटिशों का प्रकाशन

- रेडियो जिंगल्स और टीवी विज्ञापन

- अन्य बाह्य विज्ञापन, होर्डिंग्स आदि।

- संस्थागत अभियानों, विज्ञापन और कार्यक्रम प्रबंधन सहित
- कंपनी, अन्य तेल और गैस क्षेत्र की कंपनियों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से अभियान

- वार्षिक रिपोर्ट, फोल्डर / ब्रोशर / पैम्फलेट / पोस्टर / हाउस जर्नल्स और अन्य प्रिंट कार्यों की डिजाइनिंग, मुद्रण और उत्पादन

- लघु फिल्म, ऑडियो विजुअल और मल्टी मीडिया प्रस्तुतीकरण

- भारत और विदेशों में प्रदर्शनियों का आयोजन

• इवेंट मैनेजमेंट (includi एनजी पृष्ठभूमि, बैनर, Standees)

• कंपनी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और अन्य संगठन के लिए ऐसे अन्य कार्यों जिनके साथ कंपनी किसी विशेष कार्य के लिए जुड़ी हो।

• कॉर्पोरेट उपहार / मिमेंटो / गिवअवे

• फोटोग्राफी (औद्योगिक फोटोग्राफी सहित) / वीडियोग्राफी

• जनसंपर्क गतिविधियां

• सोशल मीडिया / डिजिटल मीडिया प्रबंधन

उपर्युक्त मात्र सांकेतिक सूची है और भविष्य में कंपनी द्वारा की जाने वाली संचार गतिविधियों की एक विस्तृत सूची नहीं है। हालाँकि गतिविधियाँ कंपनी के व्यवसाय और संचार रणनीति के अनुसार की जाएंगी और यह भी संभव है कि कंपनी नामिकायन की अवधि के दौरान ऊपर उल्लिखित कुछ गतिविधियों को संपन्न न करें।

4. नामिकायन की प्रक्रिया

यह त्रि चरणीय **प्रक्रिया है जो निम्नवत** है:

• **बोली मूल्यांकन मानदंड (BEC) के अनुसार स्क्रीनिंग -** केवल वे एजेंसियां जो बीइसी का अनुपालन करती हैं, उन्हें चरण 1 और आगे के मूल्यांकन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

• **चरण 1 - मात्रात्मक मूल्यांकन** - अंकन बीईसी की बैठक के बाद साझा की गई आवश्यकताओं की तुलना में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा। केवल उन एजेंसियों को चरण 2 में मूल्यांकन के लिए आमंत्रित किया जाएगा जो आवश्यकतानुसार न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करेगी।

• **चरण 2 - गुणात्मक मूल्यांकन -** चरण 1 में शॉर्टलिस्ट एजेंसियों द्वारा बनायी गयी प्रस्तुतियों के आधार पर किया जाएगा। चरण 2 के मूल्यांकन के मानदंड चरण 1 की शॉर्टलिस्ट एजेंसियों के साथ साझा किए जाएंगे।

मात्रात्मक मूल्यांकन (चरण 1) कुल अंकन का 40% और गुणात्मक मूल्यांकन (चरण 2) कुल अंकन का 60% होगा। एजेंसियों की अंतिम रैंकिंग एजेंसियों द्वारा चरण 1 और 2 में बनाए गए कुल अंकों के आधार पर बनाई जाएगी ।

शीर्ष आठ (8) एजेंसियां, चरण 1 और 2 के संयुक्त स्कोर के आधार पर , नामिकागत होंगी।

5. नामिकायन की अवधि

चयनित **आठ (8)** एजेंसियों को प्रारम्भ में दो वर्ष की अवधि के लिए नामिकागत किया जाएगा तत्पश्चात उनके प्रदर्शन के आधार पर नामिकायन की अवधि को आगे बढाया जा सकता है । इस तरह के विस्तार अधिकतम 1 वर्ष तक की अवधि के लिए होंगे । प्रदर्शन का मूल्यांकन पैनल की अवधि के दौरान जारी गतिविधि आधारित होगा और यह ब्रीफिंग में भाग लेने (की गई ब्रीफिंग के प्रतिशत के रूप में), सौंपे गए कार्य की संख्या और कार्यों के संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने की संख्या आदि जैसे मानदंडों के आधार पर किया जाएगा ।

6. बोली मूल्यांकन मानदंड (बीइसी)

बोली मूल्यांकन मानदण्ड (बीईसी) की आवश्यकताओं और सहायक दस्तावेजों की सूची निम्नवत है। एजेंसी के निम्न में से किसी भी बोली मूल्यांकन मानदंड (बीईसी) आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करने पर तत्काल खारिज कर दिया जाएगा और अग्रिम मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

क्र.सं.	**बीइसी आवश्यकता**	**संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज**
	तकनीकी	
1	**भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी (आईएनएस) प्रत्यायन** बोली प्रस्तुत करने की नियत तिथि पर आईएनएस से वैध प्रत्यायन अनिवार्य है।	एजेंसियों द्वारा स्व-प्रमाणित प्रत्यायन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए। गेल भी आईएनएस से प्रत्यायन की स्थिति सुनिश्चित करेगा।

2	**मीडिया अभियान** एजेंसी को बोली जमा करने की नियत तारीख से पूर्व गत दो वर्षों में सूचीबद्ध कंपनियों ** / भारत सरकार (सीधे या किसी भी पीएसयू के माध्यम से) में प्रत्येक मामले में रू. 25 लाख (कर सहित) से ऊपर के मूल्य के कम से कम **दो** मीडिया अभियानों* पर काम किया हुआ होना चाहिए। (केंद्र / राज्य सरकार की स्वायत्त निकायों के अभियानों पर विचार नहीं किया जाएगा)	प्रिंट मीडिया समनुदेशन के लिए मुद्रण प्रकाशन से पृथक पृष्ठ और / या टीवी विज्ञापन की कॉपी उपर्युक्त प्रस्तुत कार्यों के कार्य आदेश **और** पूर्णता प्रमाणपत्र की प्रतियां (जिसमें कार्य आदेश संख्या और दिनांक, कार्य का मूल्य और निष्पादन की तारीख का उल्लेख हो) सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रारूप एफ - बी (निम्नवत) में प्रस्तुत किया जाना है
3	**डिजाइन और प्रकाशन कार्य** एजेंसी को संपूर्ण रूप से डिजाइन और प्रकाशित करना चाहिए: i) बोली जमा करने की नियत तारीख से पूर्ववर्ती दो वर्षों में सूचीबद्ध कंपनियों ** / भारत सरकार (सीधे या किसी भी पीएसयू के माध्यम से) के लिए प्रिंट या ई-प्रारूप में वार्षिक रिपोर्ट ** / भारत सरकार (प्रत्यक्ष या किसी पीएसयू के माध्यम से) तथा ii) बोली जमा करने की नियत तिथि से पूर्ववर्ती दो वर्षों में सूचीबद्ध कंपनियों ** / भारत सरकार (सीधे या किसी पीएसयू के माध्यम से) के लिए प्रिंट या ई-प्रारूप में ब्रोशर / हाउस जर्नल। (केंद्र / राज्य सरकार की स्वायत्त निकायों के लिए किए गए उपर्युक्त कार्य के डिजाइन और प्रकाशन पर विचार नहीं किया जाएगा)	1. वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति 2. ब्रोशर / हाउस जर्नल की एक कॉपी 3.उपर्युक्त प्रस्तुत कार्यों के कार्य आदेश **और** पूर्णता प्रमाणपत्र की प्रतियां (जिसमें कार्य आदेश संख्या और दिनांक, कार्य का मूल्य और निष्पादन की तारीख का उल्लेख हो) 4. सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रारूप एफ - बी (निम्नवत) में प्रस्तुत किया जाना है